

इसे वेबसाईट www.govtppressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 नवम्बर 2015—कार्तिक 11, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. 84(10)-वि. निर्वा.-चार-2015-उपचुनाव-451.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 434/म.प्र.-लो.स./2014, दिनांक 30 अक्टूबर 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है—

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2015—08 कार्तिक, 1937 (शक)

अधिसूचना

संख्या 434/म. प्र.-लो. स./2014.—भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि मध्यप्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 24 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 434/म.प्र.-लो.स./2014, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन किए जाएँगे—

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद संख्या 220-रत्लाम सिटी के सामने स्तम्भ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी—

सारणी

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम (1)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (2)	सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम (3)
24. रत्लाम (अ.ज.जा)	220. रत्लाम सिटी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रत्लाम

आदेश से,
हस्ता./—
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 30th October 2015—08 Kartika, 1937 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/MP-HP/2014.—The Election Commission of India, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434/MP-HP/2014, dated 24th February, 2014, as amended from time to time, relating to the appointment of Assistant Returning Officer for Parliamentary Constituencies in the Madhya Pradesh State:—

2. In the Table appended to the said Notification, for the existing entry in column (3) against item No. 220-Ratlam City in column (2) the following entry shall be substituted:—

TABLE

No. & Name of Parliamentary Constituency (1)	No. & Name of Assembly Constituency (2)	Designation of Assistant Returning Officer (3)
24-Ratlam (ST)	220-Ratlam City	Sub Divisional Officer (Revenue), Ratlam City.

By order,
Sd./-

(NARENDRA N. BUTOLIA)
Secretary,
Election Commission of India.